सं. 610/56/विविध/2023-24/एन.पी.सी.एस.

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

नई दिल्ली

दिनांकः 08 अप्रैल, 2024

प्रकाशकों के लिए परामर्शी (2024 की संख्या 6)

विषयः- प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अनुसार 01 मार्च, 2024 के पश्चात जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में मुद्रक के ब्यौरे के संबंध में स्पष्टीकरण।

01 मार्च, 2024 से नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण का मामला प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 और प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

2. नए अधिनियम के अनुसार, 'मुद्रक' को प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी या कीपर के रूप में परिभाषित किया गया है। "कीपर" वह व्यक्ति है जो गैर-व्यक्तिगत इकाई (कम्पनी या ट्रस्ट) के स्वामित्व वाली प्रिंटिंग प्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्य प्रचालन का प्रबंध करता है। अतः अब "मुद्रक" का संदर्भ वह व्यक्ति है, जो प्रिंटिंग प्रेस का स्वामी है या उसका प्रबंध करता है।

3. इस अधिनियम में 'मुद्रक' की नई परिभाषा के आलोक में 01 मार्च, 2024 अथवा उसके बाद जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में मुद्रक का ब्यौरा पी.आर.पी. अधिनियम, 2023 के अनुसार ठीक कर लिया गया है। प्रमाण पत्र में शेष ब्यौरा प्रस्तुत घोषणापत्र में दी गई जानकारी के अनुसार है।

4. अतः प्रकाशकों को यह नोट करने की सलाह दी जाती है कि जारी किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र में मुद्रक का ब्यौरा पी.आर.पी. अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार हो।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रजित चन्द्रन एम.आर.)

उप प्रेस पंजीयक